

प्रपत्र VI क
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय पूर्वी-सिंहभूम, जमशेदपुर
(भू-अर्जन शाखा)
या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या-224

जमशेदपुर, दिनांक- 31.05.2017

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बड़ामारा, थाना-घाटशिला, थाना नं0-504, अंचल-चाकुलिया, जिला-पूर्वी-सिंहभूम, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ओ0आर0-60 (चिंगरा माईनर) लघु नहर निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में प्राधिकृत किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बड़ामारा, थाना-घाटशिला, थाना नं0-504, अंचल-चाकुलिया, जिला-पूर्वी-सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-3.795 एकड़ यानि 1.536 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन हैं

क 0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	119	2899	कायमी	गोड़ा-दो	0.10	ज्योति नायक, चुनु नायक, लद नायक, पिता-हाराधन नायक	2899 अंश	2899 अंश	2899 अंश	2895 अंश
									2902पूर्ण	